

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 दिसम्बर 2020—अग्रहायण 27, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 जून 2020

क्रमांक ई-1-5/2020/एक/2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री टामन सिंह सोनवानी भा.प्र.से. (सी.जी.-2004) द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 30-05-2020 के प्रकाश में अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्त प्रसुविधाएं) नियम, 1958 के नियम-16(2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्धारित 90 दिवस की कालावधि में छूट प्रदान कर उन्हें अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने के पूर्व दिनांक 31-05-2020 (अपरान्ह) से सेवानिवृत्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर 7 नवम्बर 2020

क्रमांक एफ 7-5/2012/मबावि/50.—बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यों के चयन हेतु गठित राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा अनुसार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 27 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक 192/एफ 7-5/2012/मबावि/50 नवा रायपुर दिनांक 02-11-2020 को जारी की गई है, जिसमें बस्तर जिले के बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष के नाम में त्रुटिवश श्री शैलेन्द्र दुबे अंकित हो गया है, जिसे निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :—

जिले का नाम	बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष का नाम
बस्तर	श्री शैलेश दुबे

नियुक्ति की सभी शर्तें अधिसूचना क्रमांक 192/एफ 7-5/2012/मबावि/50 नवा रायपुर दिनांक 02-11-2020 के अनुसार होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रसन्ना आर., सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर 13 अक्टूबर 2020

क्रमांक एफ 11-2/2020/1699/मबावि/50.—राज्य शासन एतद्वारा निम्नलिखित संस्था को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41 के प्रावधानों के तहत जिला प्रशासन द्वारा संचालन की स्थिति में पुनः छः माह के लिए प्रावधिक पंजीयन प्रदान करता है :—

क्र.	जिला	बाल देखरेख संस्था का नाम	पता	क्षमता
1.	सरगुजा	शासकीय विशेष गृह (बालक)	बाल सम्प्रेक्षण गृह (बालक) के प्रथम तल में, कन्या परिसर रोड गंगापुर, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.).	25

5. यह पंजीयन, अधिसूचना जारी होने की तिथि से 06 माह के लिए वैध होगा.
6. संस्था का निरीक्षण राज्य/जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रतिनिधियों/समितियों द्वारा अनिवार्यतः किया जायेगा. संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी. संस्था के अंतिम लेखे व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो.
7. संस्था द्वारा, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 तथा बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनों/वैधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा.
8. संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीर्थ प्रसाद लड़िया, उप-सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर 12 नवम्बर 2020

क्रमांक 8661/211/21-ब/छ.ग./2020.—राज्य शासन, एतद्वारा इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1528-1529/10920/21-ब/20 दिनांक 12-02-2020 के द्वारा छ.ग. राज्य में नोटरी नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति में आंशिक संशोधन करते हुए वर्ष 2020-21 में तहसील-रायपुर एवं उप तहसील-मंदिर हसौद में होने वाले नोटरी नियुक्ति हेतु निम्नानुसार चयन समिति का गठन किया जाता है :—

- | | | | |
|----|--|---|---------|
| 1. | श्री पंकज कुमार सिन्हा, अति. सचिव (विधि) | — | अध्यक्ष |
| 2. | श्री उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव | — | सदस्य |
| 3. | श्रीमती नमिता मिंज भास्कर, उप सचिव विधि | — | सदस्य |

शेष अन्य तहसील में होने वाली नियुक्ति हेतु पूर्व में गठित समिति यथावत् रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेश कुमार चंद्रवंशी, प्रमुख सचिव.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर 04 नवम्बर 2020

क्रमांक 5547/4876/2016/18.—श्री ऋतुराज रघुवंशी, आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई को दिनांक 30-10-2020 से 05-11-2020 तक (07 दिवस) आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा अवकाश अवधि में श्री ए. के. द्विवेदी, उपायुक्त नगर पालिक निगम भिलाई अपने कार्य के साथ-साथ आयुक्त का प्रभार देखें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. आर. दुबे, उप-सचिव.

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर 10 नवम्बर 2020

क्रमांक एफ 1-7/2020/रोज.वि./42.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19-03-2020 द्वारा कुमारी खुशबू पवार पिता श्री बसंत पवार, ग्राम व पोस्ट-भैंसा, थाना-खरोरा, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित रोजगार अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परीक्षा अवधि पर छत्तीसगढ़ रोजगार सेवा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2005 के तहत रोजगार अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) के पद पर वेतनमान रुपये मैट्रिक्स लेवल-12 (ग्रेड पे-5400/-) एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त करते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र जगदलपुर पदस्थ किया गया था.

2. उक्त आदेश में संबंधित रोजगार अधिकारियों को 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया था। विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 19-06-2020 द्वारा संबंधित रोजगार अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 30-06-2020 का अतिरिक्त समय भी प्रदान किया गया था किंतु कुमारी खुशबू पवार द्वारा अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया और न ही उनके द्वारा कोई सूचना विभाग को दी गई है।

3. अतएव राज्य शासन एतद्वारा कुमारी खुशबू पवार का इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19-03-2020 द्वारा रोजगार अधिकारी के पद पर अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, जगदलपुर किया गया नियुक्ति आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोतीराम खूटे, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कोण्डागांव (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व विभाग

कोण्डागांव, दिनांक 29 सितम्बर 2020

क्रमांक/2006/30/अ-82/2019-20/भू-अर्जन/2020.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोण्डागांव	कोण्डागांव	बादालूर	1.258	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव.	ग्राम बादालूर व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव जिला कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पुष्पेन्द्र कुमार मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 5 अक्टूबर 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/13662/04/अ-82/भू-अर्जन/
2020.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि
नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद
(2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और
पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात्
अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा
यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए
आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला-कोरबा

(ख) तहसील-पाली

(ग) नगर/ग्राम-बतरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.43 एकड़

खसरा नम्बर

रकबा
(एकड़ में)

योग

28

4.43

(1)

(2)

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—खारून व्यपवर्तन
योजना के बांयी तट नहर निर्माण हेतु.

91

0.30

94/6

0.10

521, 1480/1

0.30, 0.25

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

537/7

0.02

534/1

0.50

1484

0.06

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

किरण कौशल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय नोडल अधिकारी

इंद्रावती भवन, तृतीय तल, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 7 अक्टूबर 2020

क्रमांक/नो.अधि./इ.भ./नि.सहा./2020/63.—छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिसूचना क्र. एफ 1-57/
2020/सत्रह/एक नवा रायपुर, दिनांक 17-07-2020 द्वारा महामारी रोग अधिनियम 1897 के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ महामारी रोग कोविड-
19, के संक्रमण के प्रसार के रोकथाम हेतु रक्षात्मक उपायों को अपनाने एवं उसका पालन कराये जाने को अनिवार्य घोषित किया गया है. उक्त
निर्देशों का पालन नहीं किये जाने की दशा में महामारी रोग अधिनियम 1897 (1897 का 3) के अधीन निर्मित विनियम के तहत जुर्माना
अधिरुपित किया जाने का प्रावधान है.

शासन एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर निर्देश प्रसारित किये जाते हैं, जिसका पालन करने के साथ ही साथ इंद्रावती भवन में संचालित विभागाध्यक्ष कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों को मास्क और फिजिकल distancing का पालन नहीं करने पर अर्थदंड अधिरोपित करने हेतु इंद्रावती भवन में निम्नानुसार अधिकारियों को प्राधिकृत किया जाता है :-

क्रमांक	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	विभाग का नाम
1.	डॉ. के. के. ध्रुव, अपर संचालक	संचालनालय पशु चिकित्सा सेवायें
2.	डॉ. के. सी. उराव, उप संचालक	संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
3.	श्री संतोष भारती, प्लाटून कमांडर	प्रभारी, मुख्य सुरक्षा अधिकारी, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर

डॉ. सी. आर. प्रसन्ना,
नोडल अधिकारी.